न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :498/2016

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादी ::-

1. भागुराम दत्तक पुत्र राधुराम
   जाति बावरी निवासी रानीवाल
   पंचायत बैड़कलां तहसील
   जैतारण जिला पाली (राज.)

1. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/08/2016

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 28/05/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-रानीवाल, पटवार हल्का-बैड़कलां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में स्थित खसरा नम्बर 217 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी के पिता राधुराम पुत्र रूगनाथ के नाम से आई हुई है। वादी के प्राकृतिक पिता प्रभुराम थे तथा प्रभुराम के सगे भाई राधुराम थे जिनके कोई जायन्दा औलाद नही थी। राधुराम ने अपने जीवनकाल में वादी को उसके बचपन में ही गोद ले लिया था तथा गोदपुत्र के रूप में वादी को गोद माना तब से वादी ही राधुराम जी के साथ बचपन से रहता था तथा उनकी सेवा सुश्रुषा किया करता था तथा राधुराम के पास पुत्रवत् रहता था तब से वादी राधुराम की भूमि पर ही काबिज होकर आज दिन तक काश्त कर रहा है। जब श्री राधुराम एवं उनकी पत्नि का देहान्त हुआ तब वादी ने ही उन दोनों का अंतिम संस्कार किया तथा 12 दिन तक तापड़ पर बैठकर उनका बारहवां एवं गंगाप्रसादी का कार्यक्रम किया। राधुराम ने वादी को जाति समाज के रस्म रिवाज से गोद लिया तथा गोद उत्सव किया तथा राधुराम स्वयं ने वादी को गोद में बैठाकर उसको मोलिया(साफा) बंधाकर एवं मिठाईया बांटने का कार्यक्रम किया जिसमें परिवार रिश्तेदार एवं समाज के मौजिज लोग सामिल हुए थे जिनके सामने सारा गोदलेने का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ परन्तु राधुराम अनपढ व्यक्ति थे दस्तावेज की जानकारी उन्हे नही थी इसलिए वे वादी के गोदनामा का दस्तावेज नही करवा सके। इसलिए यह दावा बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। इस बाबत् वादी का परिचय पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड एवं बैंक डायरी की नकल वादपत्र के साथ पेश है। वादी अपनी भूमि को खादबीज डालकर एवं आधुनिक खेती के उपकरणों द्वारा उपजाऊ बनाना चाहता है इस हेतु वह बैंक से ऋण लेना चाहता है जब वादी को दिनांक 29/7/2016 को पटवार हल्का बैड़कलां से जमीन की जमाबंदी नकल ली तथा बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया तो बैंक अधिकारियों ने वादी को ऋण देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में बतौर काश्तकार के नहीं है। अभी बरसात का मौसम है तथा यदि वादी को समय पर ऋण नही दिया तो उसके खेत में बोई फसल खराब हो जायेगी। तथा वादी को भारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आर्थिक नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। विनाय दावा दिनांक 29/7/2016 को पैदा हुआ जब वादी ने पटवार हल्का बैड़कलां से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल ली तथा बैंक में ऋण हेतु आवेदन करने पर उसे ऋण नही दिया गया। जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा पेश करने का समय चाहते हैं। तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी हल्का - बैंड़कलां ने मजमा-ए-आम में फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि ग्राम-राणीवाल के खसरा नम्बर 217 रकबा 3-17 बीघा में राघुराम पुत्र रुगनाथ कौम-बावरी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रेकॉर्ड हैं। मौतबिरान ने बताया कि राघुराम पुत्र रुगनाथ नाऔलाद फौत हो चुका हैं। उसके कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नहीं हैं। राघुराम की पत्नि की भी मृत्यु हो चुकी हैं। मौतबिरान ने बताया कि राघुराम के सन्तान नहीं होने के कारण उसके सगे भाई प्रभुराम के पुत्र भागूराम को सामाजिक रीति-रिवाज से गोद ले लिया। परन्तु कानून की जानकारी के अभाव में गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। मौतबिरान ने बताया कि राघुराम की जमीन पर भागूराम ही काश्त करता हैं। उसका ही कब्जा काश्त हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प-बैंड़कलां में पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया सा.मि. किया गया। बहस वादी सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाबदावा, फर्द मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य शपथ-पत्र का गहनत से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। राघुराम पुत्र रुगनाथ नाऔलाद फौत हो चुका हैं। राघुराम के सन्तान नहीं होने के कारण उसके सगे भाई प्रभुराम के पुत्र भागूराम को सामाजिक रीति-रिवाज से गोद ले लिया। राघुराम की जमीन पर भागूराम ही काश्त करता हैं। उसका ही कब्जा काश्त हैं। लिहाजा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रानीवाल, पटवार हल्का-बैड़कलां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में स्थित खसरा नम्बर 217 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-बैंड़कलां सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

-:: वादी ::-	बनाम	-:: प्रतिवादी ::-
1. भागुराम दत्तक पुत्र राधुराम जाति बावरी निवासी रानीवाल पंचायत बैड़कलां तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. तहसीलदार जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 498/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रानीवाल, पटवार हल्का-बैड़कलां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में स्थित खसरा नम्बर 217 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र कावलियाकलां जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	/
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।